पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़
सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 320/2026

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 15.08.2026

थाना कोतवाली पुलिस द्वारा 06 वर्ष से अधिक समय से फरार ₹50,000/- के इनामिया अन्तर्जनपदीय अपराधी गिरफ्तार

वर्ष 2020 में फ्लिपकार्ट कार्यालय में तमंचा दिखाकर ₹6,31,702/- की लूट की घटना में था वांछित

प्राइवेट बस अड्डा स्थित बंधा रोड से गिरफ्तारी, कब्जे से .315 बोर का अवैध तमंचा व 02 जिन्दा कारतूस बरामद

गिरफ्तारी पर SSP आजमगढ़ द्वारा ₹25,000/- तथा DIG आजमगढ़ परिक्षेत्र द्वारा पुरस्कार बढ़ाकर ₹50,000/- किया गया था घोषित

अभियुक्त के विरुद्ध हत्या, लूट, चोरी, नकबजनी, हत्या के प्रयास, धोखाधड़ी, कूटरचना व शस्त्र अधिनियम सहित 12 अभियोग पंजीकृत

आज दिनांक 15.08.2026 को थाना कोतवाली पुलिस द्वारा बड़ी कार्रवाई करते हुए 06 वर्ष से अधिक समय से फरार चल रहे ₹50,000/- के पुरस्कार घोषित अन्तर्जनपदीय अपराधी राजू पथरकट पुत्र रामरतन उर्फ रामजतन निवासी खाजो लोहहरिया, थाना धनघटा, जनपद संतकबीरनगर, उम्र करीब 30 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़ के मु0अ0सं0 32/2020 धारा 392/411/120बी भादवि में वांछित था।

पूर्व की घटना का विवरण:
दिनांक 05.02.2020 को करतालपुर स्थित फ्लिपकार्ट कार्यालय में 04 हथियारबंद बदमाशों द्वारा कर्मचारियों को तमंचा दिखाकर भयभीत करते हुए कैशियर से करीब ₹6,31,702/- नकद, CCTV NVR एवं इंटरनेट राउटर लूट लिया गया था। इस संबंध में थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 32/2020 धारा 392 भादवि पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तारी का विवरण:
अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु दिनांक 04.08.2026 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा ₹25,000/- का पुरस्कार घोषित किया गया था, जिसे दिनांक 08.08.2026 को पुलिस उपमहानिरीक्षक, आजमगढ़ परिक्षेत्र द्वारा बढ़ाकर ₹50,000/- कर दिया गया था। आज दिनांक 15.08.2026 को प्रभारी निरीक्षक यादवेन्द्र पाण्डेय मय हमराह पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त राजू पथरकट को प्राइवेट बस अड्डा स्थित बंधा रोड, आजमगढ़ से समय करीब 14:45 बजे गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

1- राजू पथरकट पुत्र रामरतन उर्फ रामजतन उम्र: करीब 30 वर्ष निवासी: खाजो लोहहरिया, थाना धनघटा, जनपद संतकबीरनगर।

बरामदगी का विवरण

1. 01 अदद अवैध तमंचा .315 बोर।
2. 02 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर।

अभियुक्त के विरुद्ध बरामद अवैध शस्त्र के संबंध में थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 425/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ का विवरण:
पूछताछ में अभियुक्त द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर वर्ष 2020 में फ्लिपकार्ट कार्यालय में लूट की घटना कारित करना तथा लूट में प्राप्त धनराशि से अवैध तमंचा व कारतूस खरीदना बताया गया। अभियुक्त द्वारा पुलिस से बचने के लिए नेपाल, चेन्नई एवं बैंगलोर आदि स्थानों पर छिपकर रहने की बात भी बतायी गयी।

आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 32/20 धारा 392/411/120बी भादवि, थाना कोतवाली, आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0 168/20 धारा 174ए भादवि, थाना कोतवाली, आजमगढ़।
3. मु0अ0सं0 163/18 धारा 379/411 भादवि, थाना झंगहा, गोरखपुर।
4. मु0अ0सं0 182/18 धारा 380/457 भादवि, थाना धनघटा, संतकबीरनगर।
5. मु0अ0सं0 284/18 धारा 307 भादवि, थाना धनघटा, संतकबीरनगर।
6. मु0अ0सं0 285/18 धारा 25 आर्म्स एक्ट, थाना धनघटा, संतकबीरनगर।
7. मु0अ0सं0 286/18 धारा 420/467/468/471 भादवि, थाना धनघटा, संतकबीरनगर।
8. मु0अ0सं0 12/15 धारा 380/411/457 भादवि, थाना धनघटा, संतकबीरनगर।
9. मु0अ0सं0 172/15 धारा 380/411/414/457 भादवि, थाना धनघटा, संतकबीरनगर।
10. मु0अ0सं0 294/16 धारा 174ए भादवि, थाना धनघटा, संतकबीरनगर।
11. मु0अ0सं0 820/2007 धारा 302/363/366 भादवि, थाना महुली, संतकबीरनगर।
12. मु0अ0सं0 425/26 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना कोतवाली, आजमगढ़।

पुलिस टीम

1. प्रभारी निरीक्षक यादवेन्द्र पाण्डेय, थाना कोतवाली, आजमगढ़।
2. उ0नि0 सौरभ त्रिपाठी, चौकी प्रभारी रोडवेज।
3. हे0का0 अभय कुमार सिंह।
4. का0 नित्यानन्द यादव।
5. का0 सुमित शर्मा।
6. का0 बसंत कुमार, चोरी अनावरण सेल।
7. हे0का0 उमेश यादव, सर्विलांस सेल।
8. का0 इन्द्रेश कुमार, सर्विलांस सेल।
9. का0 दिनेश सिंह, सर्विलांस सेल।

थाना सरायमीर पुलिस द्वारा *नाबालिग बालिका* को बहला-फुसलाकर भगाने के मामले में 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

नन्दाव मोड़ के पास से अभियुक्त अजूबा गिरफ्तार, अभियोग में वांछित था

दिनांक 10.08.2026 को थाना सरायमीर क्षेत्र निवासी आवेदिका द्वारा सूचना दी गयी कि उनकी नाबालिग पुत्री कम्पोजिट विद्यालय में पढ़ने गयी थी, जो विद्यालय से अपना बैग लेकर बाहर निकलने के बाद वापस नहीं आयी। परिजनों द्वारा खोजबीन करने पर जानकारी हुई कि अजूबा पुत्र स्व0 निर्गुन निवासी ग्राम पवईलाडपुर थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ द्वारा नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर भगा ले जाया गया है। उक्त प्रकरण में थाना सरायमीर पर मु0अ0सं0 201/2026 धारा 87/137(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया था।

आज दिनांक 15.08.2026 को उ0नि0 पंकज कुमार मय हमराह द्वारा वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु तलाश की जा रही थी। इसी दौरान सूचना पर नन्दाव मोड़, कस्बा सरायमीर के पास से अभियुक्त **अजूबा पुत्र स्व0 निर्गुन निवासी ग्राम पवईलाडपुर थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़** को समय करीब 10:05 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तः
अजूबा पुत्र स्व0 निर्गुन, निवासी ग्राम पवईलाडपुर, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़।

पंजीकृत अभियोगः
मु0अ0सं0 201/2026 धारा 87/137(2) बीएनएस, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः

1. उ0नि0 पंकज कुमार, थाना सरायमीर, आजमगढ़।
2. का0 अंकुर सिंह, थाना सरायमीर, आजमगढ़।
3. म0का0 संजू सिंह, थाना सरायमीर, आजमगढ़।

थाना मुबारकपुर

पुरानी पारिवारिक रंजिश में जानलेवा हमला करने वाला 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार
घटना में प्रयुक्त 01 अदद नाजायज चाकू बरामद, मुकदमे में धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम की बढ़ोत्तरी

घटना का संक्षिप्त विवरणः
दिनांक 14.08.2026 को वादी विनोद यादव पुत्र बाढ़ू यादव निवासी ग्राम अमुड़ी, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना मुबारकपुर पर तहरीर दी गयी कि दिनांक 14.08.2026 को सुबह करीब 06:30 बजे वह अपने घर से ऑटो द्वारा मुबारकपुर जा रहा था। रास्ते में शिवानन्द यादव पुत्र राजेन्द्र यादव निवासी ग्राम अमुड़ी द्वारा धारदार हथियार (चाकू) से उसके ऊपर हमला किया गया। चाकू वादी के पेट पर लगा तथा अभियुक्त गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देकर मौके से फरार हो गया। इस संबंध में थाना मुबारकपुर पर मु0अ0सं0 297/2026 धारा 109(1), 352, 351(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना उ0नि0 कुलदीप कुमार द्वारा की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरणः
आज दिनांक 15.08.2026 को उ0नि0 कुलदीप कुमार मय हमराह का0 सत्येन्द्र यादव द्वारा क्षेत्र में वांछित अभियुक्तों की तलाश की जा रही थी। इसी दौरान मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि मुकदमा उपरोक्त से संबंधित वांछित अभियुक्त शिवानन्द यादव भटौरा पेट्रोल पम्प के सामने से अमुड़ी जाने वाले रास्ते पर खड़ा है। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और पुलिस को देखकर भागने का प्रयास कर रहे अभियुक्त को घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त को समय करीब **14:22 बजे** हिरासत में लिया गया।

पूछताछ में अभियुक्त द्वारा पुरानी पारिवारिक रंजिश के कारण विनोद यादव पर जान से मारने की नीयत से चाकू से प्रहार करने की बात स्वीकार की गयी। अभियुक्त की निशानदेही पर अमुड़ी जाने वाले रास्ते पर सड़क किनारे झाड़ी में छिपाकर रखा गया घटना में प्रयुक्त **01 अदद नाजायज चाकू** बरामद किया गया। चाकू रखने का अधिकार पत्र मांगने पर अभियुक्त द्वारा कोई अधिकार पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके कारण मुकदमा उपरोक्त में **धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम** की बढ़ोत्तरी की गयी। अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण
शिवानन्द यादव पुत्र राजेन्द्र यादव, उम्र करीब 26 वर्ष, निवासी ग्राम अमुड़ी, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़।

बरामदगी का विवरण
01 अदद नाजायज चाकू, घटना में प्रयुक्त।

पंजीकृत अभियोग एवं आपराधिक इतिहास
1. मु0अ0सं0 162/2021 धारा 380, 411, 457 भादवि, थाना मुबारकपुर, आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0 297/2026 धारा 109(1), 351(3), 352 बीएनएस एवं बढ़ोत्तरी धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम, थाना मुबारकपुर, आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम
1. उ0नि0 कुलदीप कुमार, विवेचक/चौकी प्रभारी लोहरा, थाना मुबारकपुर।
2. का0 सत्येन्द्र यादव, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़।